प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

12/12/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स साहिति इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल) और इसके प्रबंध निदेशक बी लक्ष्मीनारायण के खिलाफ माननीय एमएसजे कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 04/12/2024 को इसका संज्ञान लिया है।

ईडी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 के तहत मेसर्स एसआईवीआईपीएल, बी. लक्ष्मीनारायण और अन्य के खिलाफ एक विश्व स्तरीय आवासीय गेटेड समुदाय के निर्माण के लिए "प्री-लॉन्च ऑफर" का विज्ञापन करने और संभावित खरीदारों से भारी मात्रा में राशि एकत्र करने के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। हालांकि, कंपनी ग्राहकों को फ्लैट देने या उनके पैसे वापस करने में विफल रही और इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया। इसके बाद, मेसर्स एसआईवीआईपीएल और अन्य समूह संस्थाओं द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के निवेशकों/खरीदारों की शिकायतों के आधार पर कई अन्य एफआईआर दर्ज की गईं।

ईडी की जांच में पता चला कि एसआईवीआईपीएल के पास आवश्यक रेरा/एचएमडीए अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, परियोजना के लिए कोई एस्क्रो खाता नहीं था और निवेशकों से प्राप्त धन विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया था और नकद में भी एकत्र किया गया था। जांच से पता चला कि मैसर्स एसआईवीआईपीएल ने साहिती समूह द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में इन्वेंट्री की बिक्री के झूठे बहाने से घर खरीदारों से अग्रिम लेकर 842.15 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की। इसमें से 216.91 करोड़ रुपये नकद में घर खरीदारों से एकत्र किए गए थे, जो कभी भी खातों की पुस्तकों में नहीं आए और मेसर्स एसआईवीआईपीएल के प्रमोटरों/निदेशकों द्वारा उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए छुपाए गए थे।

ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि बिना किसी वास्तविक कारोबार के फर्जी बैंकिंग लेनदेन निष्पादित करके मैसर्स एसआईवीआईपीएल की निधियों को संबंधित और साथ ही असंबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को डायवर्ट करके अपराध की आय (पीओसी) का गबन किया गया था। इसके अतिरिक्त, आहरण के पश्चात् मैसर्स एसआईवीआईपीएल के बैंक खातों से नकदी के रूप में अपराध से प्राप्त आय की पर्याप्त राशि निकाल ली गई थी। बी. लक्ष्मीनारायण और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पीओसी को भी विदेशी बैंक खातों में भेज दिया गया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि बी. लक्ष्मीनारायण ने एसआईवीआईपीएल के पूर्व निदेशक और सेल्स एवं मार्केटिंग टीम के प्रमुख संदू पूर्णचंद्र राव के साथ मिलीभगत करके घर खरीदने वालों के धन का गबन किया था; और उसके द्वारा अपराध की आय से बेनामी संपत्तियों के नाम पर अचल संपत्तियां अर्जित की गई थीं।

इससे पहले, ईडी ने मामले के संबंध में विभिन्न परिसरों में तलाशी ली थी, आपत्तिजनक सामग्री, डिजिटल उपकरण जब्त किए थे और कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। पीएमएलए जांच के दौरान 161.50 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था। इसके अलावा, बी लक्ष्मीनारायण को 29.09.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

आगे की जांच प्रगति पर है।